



**प्रेस नोट दिनांक 17.03.2023**

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में वारन्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना चिलकाना पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त मोहतसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 2300/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि० चालानी थाना सरसावा सहारनपुर को दिनांक 17.03.2023 को अभियुक्त को ग्राम सुचेला देवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-**

मोहतसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सुचेला देवा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:**

- 1.उ० नि० श्री अशोक कुमार शर्मा थाना चिलकाना सहारनपुर।
- 2.पीआरडी इन्दल थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक: 17-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर**

**प्रदेश**

**प्रेस नोट**

**थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 25000-25000 रूपये के पुरस्कार घोषित दो अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार व अभियुक्तगणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद तमंचे 315 बोर व 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में वाँछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 25000 – 25000 हजार रुपये के दो इनामिया अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13.03.23 को वादी श्री कंवरपाल पुत्र फुल्ला निवासी ग्राम रामगढ थाना नकुड़ जिला सहारनपुर द्वारा दाखिला तहरीरी सूचना बावत अभिगण द्वारा वादी के पुत्र पंकज व विकास पुत्र सुभाष व सौरभ उर्फ गाँधी पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासीगण ग्राम रामगढ थाना नकुड़ सहारनपुर के साथ मारपीट कर गाली गलौच करने तथा जान से मारने की नियत से विकास उपरोक्त के बांये कंधे व सौरभ उपरोक्त के बांये पैर में गोली मार देने तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 94/23 धारा 323/ 504/ 506/ 307 भादवि व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0एक्ट पंजीकृत किया था। मुकदमा उपरोक्त में वाँछित/इनामी अभियुक्त साजिल पुत्र नसीम निवासी ग्राम तिगरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उफरोक्त की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 98/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम साजिल उफरोक्त पंजीकृत किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त में वाँछित/इनामी अभियुक्त शौएब उर्फ घोडा पुत्र इन्तयास निवासी ग्राम तिगरी रामगढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को मय 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किय गया। बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 99/23 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम शौएब उर्फ घोडा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तारी**

1. साजिल पुत्र नसीम निवासी ग्राम तिगरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. शौएब उर्फ घोडा पुत्र इन्तयास निवासी ग्राम तिगरी रामगढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. 01 तमचा 315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर ( अभियुक्त साजिल उपरोक्त से बरामद)
2. 01 तमचा 345 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर ( अभियुक्त शौएब उर्फ घोड़ा उपरोक्त से बरामद )

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
4. उ0नि0 बीरबल सिंह थाना नकुड़ सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री मान सिंह थाना नकुड़ सहारनपुर
6. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड़ सहारनपुर
7. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
8. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड़ सहारनपुर
9. का0 2061 तुषार अधाना थाना नकुड़ सहारनपुर



दिनांक 17.03.2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**  
**थाना सरसावा पुलिस द्वारा गाडी लूटने का प्रयास करने व विरोध करने पर**  
**गोली मारने के मुकदमे में 25000/- रुपये के अलग-अलग पुरुष्कार घोषित**  
**04 अभियुक्तगण गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 02.02.2023 को वादी श्री राजू गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम गली नं0 2 AF नगलीहेरी नजफगढ रनहौला नई दिल्ली द्वारा पर अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाडी लूट करते समय विरोध करने पर जान से मारने की नियत से गोली मार देना तथा गाडी मौके पर छोडकर भाग जाना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 031/2023 धारा 393/307 आईपीसी पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे व प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में सरसावा पुलिस द्वारा दिनांक- 15/03/2023 को समय करीब - 20.00 बजे अभियुक्तगण 1.सावंत पाराशर पुत्र संजय पाराशर निवासी म0नं0 I-19 /4 जेल लाईन थाना गोपालगंज जिला सागर मध्य प्रदेश 2.आकाश लोधी पुत्र अमोल सिंह लोधी निवासी ग्राम चतुर भटा थाना सुरखी जिला सागर मध्यप्रदेश, 3.दिनेश सिंह पुत्र रामकुमार लोधी निवासी उपरोक्त 4.योगेश पुत्र धीरज सिंह लोधी निवासी उपरोक्त को जनपद सागर मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जिनको जनपद सागर मध्यप्रदेश से ट्रान्जिट रिमाण्ड लेकर दिनांक 16.03.2023 को सहारनपुर लाया गया। अभियुक्तगणो ने पूछताछ मे बताया कि हम लोग दिनांक 01.02.2023 को सागर से दिल्ली मे घूमने के लिये आये थे जहां पर अभि0गणो के द्वारा खरीदारी व मौज मस्ती की गयी तथा पैसे खत्म हो जाने के कारण हम लोगो ने लूट की योजना बनायी जिसके बाद दिल्ली से कैब बुक कर ऋषिकेश के लिये चल दिये रास्ते मे भगवानपुर जनपद हरिद्वार के पास लूट के इरादे से ड्राईवर को अपने साथ सागर मध्य प्रदेश से लाये तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया और उसको उसी गाडी मे डाल लिया तथा सुनसान जगह की तलाश मे भगवानपुर से सहारनपुर की तरफ आये और सुआखेडी थाना क्षेत्र सरसावा मे रेलवे अन्डर ब्रिज के पास सूनसान जंगल देखकर ड्राईवर को रोड के किनारे फेंक दिया तथा गाडी लेकर भाग रहे थे कि गाडी का गैस खत्म होने के कारण गाडी छोडकर दिल्ली होते हुये जनपद सागर मध्य प्रदेश भाग गये। अभियुक्तगणो से पूछताछ के पश्चात उनके निशादेही पर रेलवे लाईन नई पटरी पर सरसावा की और रेलवे खम्बे के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय एक खोका कारतूस व घटना में

लूटा हुआ मोबाईल फोन बरामद किया गया । तथा अभियोग को 394/411 आईपीसी में तरमीम किया गया अभियुक्तगणों को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

### गिरफ्तारी-

- 1.सावंत पाराशर पुत्र संजय पाराशर निवासी हाल म0नं0 I-19 /4 जेल लाईन थाना गोपालगंज जिला सागर मध्य प्रदेश मूल निवासी देवपुरा बमरी थाना बक्स्वाहा जिला छतरपुर मध्यप्रदेश
- 2.आकाश लोधी पुत्र अमोल सिंह लोधी निवासी ग्राम चतुर भटा थाना सुरखी जिला सागर मध्यप्रदेश, हाल पता बागराज वार्ड तिरुपतिपुरम कालोनी मेडिकल कालेज थाना गोपालगंज जिला सागर म0प्र0
- 3.दिनेश सिंह पुत्र रामकुमार लोधी निवासी ग्राम चतुर भटा थाना सुरखी जिला सागर, मध्यप्रदेश
- 4.योगेश पुत्र धीरज सिंह लोधी निवासी ग्राम चतुर भटा थाना सुरखी जिला सागर, मध्यप्रदेश

### गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 2.हे0का0 639 मुकेश यादव, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 3.हे0कां0 1050 नितिन कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
- 4.हे0का0 1006 तरुण त्यागी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 17.03.2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना गंगोह ,सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो एवं अवैध कार्यों मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 12/2023 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित चोरी के 01 मोबाइल कम्पनी ओप्पो को बरामद करते हुये अभियुक्त राहुल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर को आज दिनांक 17.03.23 को नकुड गंगोह रोड पर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।

#### बरामदगी-

एक अदद मोबाइल कम्पनी ओप्पो

#### गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री सूरजपाल सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 2.है.का.494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर ।
- 3.का0 1059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर.।



दिनांक: 17-03-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना कुतबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा लंबे समय से वाँछित चल रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेश के अनक्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे वाँछित अपराधियो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.03.2023 को थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 426/22 धारा 308/323/504/506 भादवि मे करीब 05 माह से वाँछित चल रहे अभियुक्त गौतम पुत्र विक्रम सिंह निवासी कृष्णाकुंज कालोनी निकट भगत सिंह चौक दिल्ली रोड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर रामनगर तालपुर मोड दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया। अभि0 गौतम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त-

गौतम पुत्र विक्रम सिंह निवासी कृष्णाकुंज कालोनी निकट भगत सिंह चौक दिल्ली रोड थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 मौ0 जहाँगीर थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1463 कपिल थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू बरामद**

|

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियुक्तगण की धर पकड के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त मोनिस पुत्र स्व0 पप्पू निवासी मौ0 सिराजान ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को बंजारो का पुल के पास मय 01 चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0- 82/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -**

मोनिस पुत्र स्व0 पप्पू निवासी मौ0 सिराजान ढोलीखाल थाना कु0शेर जनपद सहारनपुर।

**पुलिस पार्टी -**

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 451 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1919 यशवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी कागजात से खाता खुलवाकर धोखे से पैसा निकालने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.12.2022 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-675/2022 धारा 420/409/467/468/471/120बी भादवि के 1755000 रुपये की धोखाधड़ी में लिप्त वांछित अभियुक्त अमित पुत्र पिरथी निवासी भैंसराऊ थाना ननौता जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अमित पुत्र पिरथी नि0 ग्राम भैंसराऊ थाना ननौता जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर,**

**उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट पुलिस द्वारा गौकशी का 01 वांछित अभियुक्त किया गया**

**गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी बेहट बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.02.2023 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0-57/2023 धारा-3/5/8 गौबध निवारण अधि0 व 11(घ) पशु क्रूरता अधि0 के वांछित अभियुक्त शहजाद पुत्र नियाज निवासी ग्राम शाहपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर को आज दिनांक 17.03.23 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

शहजाद पुत्र नियाज नि0 ग्राम शाहपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री बनवारी सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 3.का0 2343 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 17-03-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा दो चोरी के अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई बिजली की मोटर, मोटर खोलने के औजार व 01 मोटर साईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सर्किल नकुड के निकट पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम हेतु गठित टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार उर्फ उस्ताद उर्फ राजू पुत्र रतिराम नि0 आवास विकास कालेनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर 2. आरिफ पुत्र अशफाक नि0 जनकनगर चार खम्बोवाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर स्थाई निवासी गांव पाण्डली गुर्जर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को चोरी की गयी दो बिजली की मोटर, मोटर खोलने के औजार तथा घटना में इस्तेमाल की जाने वाली मोटर साईकिल नं0 UP11AE-8820 डिस्कवर के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 58/23 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण पूर्व में थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/23 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 53/23 धारा 379 भादवि में भी वांछित हैं। अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तारी-**

1. अशोक कुमार उर्फ उस्ताद उर्फ राजू पुत्र रतिराम नि0 आवास विकास कालेनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. आरिफ पुत्र अशफाक नि0 जनकनगर चार खम्बोवाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर स्थाई निवासी गांव पाण्डली गुर्जर थाना गंगनहर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

**बरामदगी-**

1. दो बिजली की मोटर
2. मोटर खोलने के औजार
3. घटना में इस्तेमाल की जाने वाली मोटर साईकिल डिस्कवर नं0 UP 11AE 8820

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोबिल्स कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर